BPSC छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरुद्ध शिकायत

चर्चा में क्यों?

बिहार के एक अधिवक्ता ने **कथित** [पेपर लीक]() के बाद **70वीं BPSC संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा (CCE)** की पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे **BPSC छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज** के संबंध में [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)]() में शिकायत दर्ज कराई है।

मुख्य बिंदु

- **परीक्षा विवाद:**
  - **13 दिसंबर, 2024 को आयोजित BPSC परीक्षा** में 912 केंद्रों पर 3.28 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए।
    - एक परीक्षा केंद्र पर **पेपर लीक होने के आरोपों के कारण** प्रभावित अभ्यर्थियों के लिये **4 जनवरी, 2025 को पुनः परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई।**
  - आयोग ने **पेपर लीक की बात को खारिज** करते हुए यह स्पष्ट किया कि अन्य केंद्रों पर परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की गई।
- **विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई:**
  - 15 दिनों तक BPSC **अभ्यर्थियों ने न्याय की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में विरोध प्रदर्शन किया।**
  - 28 दिसंबर, 2024 को **पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिये लाठियों और पानी की बौछारों का उपयोग किया।**
  - लाठीचार्ज के बाद छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं।
- **अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप:**
  - आरोप है **कि पुलिस ने छात्रों की हड्डियाँ तोड़ दीं और** हाथ जोड़कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर भी अंधाधुंध बल प्रयोग किया।
  - पुलिस ने ठिठुरती सर्दियों की रातों में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें कीं तथा इस कार्रवाई को गंभीर [मानवाधिकार उल्लंघन]() बताया।
  - शिकायत में यह भी दावा किया गया कि **पुरुष पुलिस अधिकारियों ने** वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में महिला प्रदर्शनकारियों की बेरहमी से पिटाई की।
- **संवैधानिक एवं नैतिक उल्लंघन:**
  - अत्यधिक बल का प्रयोग [संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b)]() का उल्लंघन है, जो शांतिपूर्ण सभा के अधिकार की गारंटी देता है।
  - आचार संहिता का उल्लंघन किया गया क्योंकि [भारत की पुलिस आचार संहिता]() के सिद्धांत 4 में इस बात पर बल दिया गया था कि बल का प्रयोग न्यूनतम होना चाहिये तथा अनुनय, सलाह और चेतावनी के बाद ही अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिये।

//

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

NHRC के अनुसार, मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार हैं जिनकी सुनिश्चितता संविधान द्वारा की गई है या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित है, जो भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किये जाने योग्य हैं।

- भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी
- **स्थापना:** वर्ष 1993 (मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुरूप)
- **अधिनियम:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993

राज्य मानवाधिकार आयोग

- PHR अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित
- **सदस्यों की नियुक्ति:** राज्यपाल द्वारा
- **सदस्यों का निष्कासन:** राष्ट्रपति द्वारा

मानवाधिकार दिवस: 10 दिसंबर

कार्य

- मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जाँच करना
- मामलों का स्वतः संज्ञान
- मानवाधिकार कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुशंसा करना
- मानवाधिकार जागरुकता फैलाना
- मानवाधिकार मुद्दों पर अध्ययन करना, रिपोर्ट प्रकाशित करना

शक्तियाँ

- व्यक्तियों को समन देना, गवाहों की जाँच करना और साक्ष्य प्राप्त करना
- यह सुनिश्चित करने के लिये जेलों और अन्य संस्थानों का निरीक्षण करना कि यहाँ स्थितियाँ मानवीय हैं
- मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालयी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना

NHRC के सदस्य

संघटन

- 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य
- **अध्यक्ष:** सेवानिवृत्त CJI/SC के न्यायाधीश
- **प्रशासनिक प्रमुख:** महासचिव

नियुक्ति

- **6 सदस्यीय समिति** (प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, केंद्रीय गृहमंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता) की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सभी सदस्य

कार्यकाल

- 3 वर्ष / 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)

निष्कासन

- राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है
- **आधार:** दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप सिद्ध होने पर

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (GANHRI) में स्थिति:

- **NHRC** को वर्ष 1999 से **'A'** श्रेणी का दर्जा प्राप्त है
- **'A' श्रेणी की स्थिति :** वर्ष 2006, 2011 और 2017 में बरकरार रही
- **'A' स्थिति का निलंबन:** वर्ष 2023 और वर्ष 2024

दृष्टि The Vision
Drishti IAS